भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1685
13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी के कच्चे माल के लिए एक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना

1685 श्री पी. विल्सनः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने भारत में लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज परिशोधन, सेल घटकों और पूर्ववर्ती सामग्रियों सहित बैटरी के कच्चे माल के लिए घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र की कमी को उजागर करने वाली रिपोटों पर ध्यान दिया है;
(ख) लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और सेल घटकों जैसे प्रमुख कच्चे माल के लिए आयात पर कितनी निर्भरता है;
(ग) क्या इस निर्भरता ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) उत्पाद सम्बद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और
(घ) बैटरी के कच्चे माल के लिए घरेलू प्रसंस्करण, परिशोधन और विनिर्माण क्षमता विकसित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ) : भारी उद्योग मंत्रालय "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का प्रबंधन कर रहा है। इस स्कीम को मई 2021 में ₹18,100 करोड़ के कुल परिव्यय प्रावधान के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में 50 गीगावॉट-घंटा की उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है।

इस स्कीम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करके तथा बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उद्योगों को देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के आयात पर

भारत की निर्भरता को कम करना है। हेतु बनाई गई है। हालाँकि, वर्तमान में घरेलू मांग का अधिकांश हिस्सा अभी भी आयात के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है।

भारत सरकार की इस पहल ने भारतीय सेल विनिर्माताओं को देश में सेल विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। पीएलआई-एसीसी स्कीम के आवेदकों के अतिरिक्त, कम से कम 10 विनिर्माताओं ने आगामी पाँच वर्षों में देश में लगभग 178 गीगावॉट-घंटा की संचयी क्षमता स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा, इस स्कीम से कैथोड सक्रिय सामग्री, एनोड सक्रिय सामग्री, फॉयल आदि जैसे घटकों की मांग में वृद्धि हुई है, और भारतीय विनिर्माताओं ने घटक विनिर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाइयों की स्थापना की घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खान मंत्रालय 29 जनवरी, 2025 को स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक एवं सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर परिशोधन, प्रसंस्करण तथा प्रयोग-अवधि समाप्त उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरणों को समाहित करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करना है।

******